

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:प.14(4)शिक्षा-1 / जिला राजसमन्द / 2014

जयपुर, दिनांक: 20/10/14

आदेश

इस विभाग के आदेश संख्या: प.14(4)शिक्षा-1 / जिला राजसमन्द / 2014 दिनांक 14.8.2014 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालयों में अन्य राजकीय उच्च माध्यमिक / माध्यमिक / उच्च प्राथमिक / प्राथमिक विद्यालय समन्वित करते हुये आदर्श विद्यालयों का गठन किया गया था। इसके पश्चात् विभिन्न स्तरों यथा-राज्य सरकार, जिला कलक्टर, जिला शिक्षा अधिकारियों को आदर्श विद्यालयों के संबंध में कुल 102 शिकायतें / परिवेदनाएँ प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों / परिवेदनाओं का विस्तृत रूप से परीक्षण किया गया, जिनमें कुल 75 शिकायतें / परिवेदनाएँ सही पाई गई। परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया गया कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं, जिन्हें विभिन्न कारणों से पृथक किये जाने आवश्यक हैं। परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित सूची के कॉलम संख्या 6 में वर्णित विद्यालयों को समन्वयन से पृथक कर यथावत संचालन किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

पंचायत समिति का नाम: खगनोर

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	न.पा. नाथद्वारा	न.पा. नाथद्वारा	राउमावि नाथद्वारा	राउप्रावि फौज	राउप्रावि फौज	भवन दानदाताओं द्वारा वनबाधा गया है रास्ते में नहर है।


पंचायत समिति का नाम: राजसमन्द

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	वोरज	वोरज	रामावि वोरज	प्रावि केरडी	प्रावि केरडी	विद्यालय से दूरी 2 से 3 कि.मी. होने के कारण
2	केलवा	केलवा	रावामावि केलवा	वाउप्रावि केलवा	वाउप्रावि केलवा	दूरी 2 किमी है बालिकाएँ दूर से पढने आती हैं जिनकी दूरी वाद में 4 किमी हो के कारण
3	धोइन्दा	धोइन्दा	उमावि धोइन्दा	उप्रावि, धोइन्दा	प्रावि गाडरियावास	प्रावि की दूरी उमावि से 1.5 किमी है व एन.एच 8 से कालवेलिया वस्ती से बच्चे आते हैं

20/10/14

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


आज्ञा से



(अन्तर सिंह नेहरा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव-प्रथम, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय।
4. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।
6. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
8. शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
9. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
10. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
12. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
13. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
14. जिला कलक्टर,।
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/प्रा.शि. (आयोजना)/शिक्षा (ग्रुप-2)।
16. शासन उप सचिव, तृतीय शिक्षा (ग्रुप-6)।
17. विशिष्ट शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5)।
18. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1)।
19. शिक्षा उप निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक,।
20. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय),।
21. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव